न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 05/2017 दिनांक 14/02/2017

प्रथम पक्ष – नेहा परवीन पिता शमीम अंसारी।

बनाम

द्वितीय पक्ष – (1)रोजा खान पिता मुराद खान।(2) माहीर खान पिता मुराद खान। (3) मेमा खान पिता मुराद खान। (4) तबारक खान मुराद खान। (5) सबारून बीबी पिता मुराद (6) मुराद खान पिता छेदिया खान।

आदेश

उक्त वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के नेहा परवीन द्वारा बसिया थाना में आवेदन के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में की गयी। प्रतिवेदनानुसार नाबालिग नेहा परवीन को डरा धमकाकर द्वितीय पक्ष के रोजा खान द्वारा निकाह का प्रलोभन देकर करीब तीन वर्षो से बलात्कार किया जा रहा है। इसकी जानकारी जब प्रथम पक्ष के माता–पिता को हुआ तब प्रथम पक्ष के लोग द्वितीय पक्ष के घर गये एवं शादी की बात की। द्वितीय पक्ष के लोग निकाह से इन्कार करते है और मारपीट भी किए। न्याय के लिए प्रथम पक्ष अंजूमन में आवेदन दिए परंतु वहां भी न्याय नही मिला फलतः प्रथम पक्ष ने थाना में आवेदन दिया जिसके आधार पर बसिया थाना कांड सं0 68/16 दिनांक 14.12.2016 धारा 341/323/324/376 एवं पोक्सो एक्ट दर्ज किया गया। कांड दर्ज होते ही उसी दिन अंजूमन की बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया कि रोजा खान का निकाह एक माह के अन्दर नेहा परवीन से करा दिया जाएगा तथा इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर ले लिया गया। इसी समझौता के आधार पर रोजा खान को छोड़कर द्वितीय पक्ष के क्रमांक 2 से 4 तक के लोगों कों जमानत मिली। जमानत के बाद द्वितीय पक्ष के लोग निकाह के एवज में दहेज की मांग कर रहे हैं और दर्ज कांड को उठाने हेतु दबाव बना रहे है। प्रथम पक्ष के लोग सीधे सादे एवं कानून का पालन करने वाले हैं जबकि द्वितीय पक्ष में तनाव एवं शांति भंग होने की संभवना है।

विभिन्न तिथियों को इस न्यायालय में निरंतर दिनांक 14.02.2017 से वाद की सुनवाई उभय पक्षों से की गयी एवं लिखित कारण पृच्छा की मांग उभय पक्षों से की गयी।

द्वितीय पक्षकारों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब लिखित बहस एवं जवाब दाखिल किया। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष विपक्षी रोजा खान को बहला फुसलाकर बलात्कार के आरोप में फंसाया गया है वर्तमान में यह वाद गुमला व्यवहार न्यायालय में लंबित है। अब विपक्षीगण जो किन्दिरकेला अंजुमन के सदर सेक्रटरी का सदस्य है उन्हें जान बूझकर फंसाया गया। आवेदिका अर्थात प्रथम पक्ष द्वारा केस के पूर्व किन्दिरकेला अंजुमन में बैठक बुलायी गयी जिसमें नेहा परवीन, रोजा खान की शादी की बात तय हुई। जिसमें रोजा खान तथा उसकी परिवार वाले तैयार थे परंतु प्रथम पक्ष के परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे। रोजा खान की चप्पल की दुकान है, जिसमें नेहा परवीन दो जोड़ी चप्पल खरीदी और बाद में पैसा देने की बात कही। कुछ दिनों बाद ही चप्पल टूट जाने के कारण जब चप्पल का पैसा रोजा खान द्वारा मांगे जाने पर नेहा परवीन गाली गलौज करने लगी और झूठा आरोप लगाकर केस किया। रोजा खान द्वारा अपना

26/08/17

अग्रिम जमानत आवेदन माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची में दायर है जिसमे प्रथम पक्ष के नेहा परवीन को भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटीस दिया गया था। द्वितीय पक्ष उच्च न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार है। प्रथम पक्ष गांव के कुछ बिचौलिया के बहकावे में आकर विपक्षीगण को परेशान करते है।

दोनों पक्षों द्वारा गवाही के पूर्व सदर अंजुमन किन्दिरकेला में उपस्थित होकर बतलाते है कि सामाजिक स्तर पर इस विवाद को खत्म करने हेतु, दिनांक 14.12.2016 को अंजुमन इस्लामिया किन्दिरकेला की बैठक बुलाई गयी थी और उभय पक्षकारों द्वारा निकाह की राजीनामा के उपरान्त कार्यवाही तैयार की गयी।

द्वितीय पक्षकारों द्वारा अपने पक्ष में दो गवाह शेख हकिम, पिता–
एवं नेयाब खान, पिता–
कों दिनांक 05.08.2017 को प्रस्तुत करते है जिनका cross examination प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किया गया। शेख हफीज बतलाते है कि यह वाद संजीदा बीबी द्वारा लाया गया है जिसमें द्वितीय पक्ष के रोजा खान, महीर खान, तबारक खान, मेया खान, सबारून बीबी, मुराद खान है। गवाह के सभी भतीजा हैं वाद न्यायालय में लाए जाने के पूर्व गांव में पंचायती हुआ जिसमें वे मौजूद थे। इसका कोई कागजात तैयार नहीं किया गया और न ही निकाह संबंधी कोई बात कही है। रोजा खान सभी प्रकार से तैयार है पर प्रथम पक्ष के सदस्य नही माने।

दूसरे गवाह नियाब खान बतलाते है कि इन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है और यह नहीं बतलाया गया कि क्या हुआ है? पंचायती अंजुमन स्तर पर हुई थी परंतु वे मौजूद नहीं थे। द्वितीय पक्षकार उनके रिश्तेदार लगते है।

प्रथम पक्षकार आगामी तिथि को गवाहों को प्रस्तुत करने की मांग करते है जिसकी स्वीकृति दी गयी। दिनांक 26.08.2017 को प्रथम पक्ष द्वारा दो गवाह ग्यास खान एवं संमिदा बीबी को प्रस्तुत किया गया।

समिंदा बीबी बतलाती है कि अंजुमन कमिटी द्वारा किसी प्रकार का सुलहनामा नहीं हुआ। अंजुमन दोनो पक्षों को सुलह कराना चाहते थे परन्तु प्रथम पक्ष सुलह के लिए राजी नहीं थे। दूसरे गवाह ग्यास खान पिता– बतलाते है कि गांव के स्तर पर विवाद निपटाने हेतु बैठक हुई थी फैसला नहीं होने पर मामला थाना में गया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं गवाहो के दर्ज बयान तथा अंजुमन की बैठक की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच विवाद का कारण द्वितीय पक्ष रोजा खान द्वारा प्रथम पक्षकार नेहा परवीन को डरा धमकाकर निकाह संबंधी प्रलोभन के उपरांत तीन वर्षो तक बलात्कार संबंधी आरोपों से उत्पन्न हुई है। वाद की कार्रवाई के दौरान भी यह पाया गया है कि कई बार द्वितीय पक्षकार मुख्यतः रोजा खान अपनी उद्दण्ड प्रवृति को प्रदर्शित करते पाए गए एवं इन्होंने नेहा परवीन को कई प्रकार की अभद्र बातें कही। उक्त आलोक में द्वितीय पक्षकार की पूर्ण जिम्मेवारी है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। अतः प्रत्येक पक्ष 5,000.00/–(पांच हजार रू0) की surety के साथ अपना बंध पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

द्वितीय पक्ष द्वारा आदेश के आलोक में बंध पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसे संतुष्ट होकर स्वीकृत किया जाता है। द्वितीय पक्ष को release किया जाता है और प्रथम पक्ष के आवेदन को निस्तारित किया जाता है।

26/08/17

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 14:28:49 +05:30
Location: 192.168.0.112